कर्नल डीएस संधवालिया *बनाम* भारत संघ और अन्य
(एमएम पुंछी, जे.)

न्यायमूर्ति एमएम पुंछी और *उजागर सिंह के समक्ष*

कर्नल. डीएस संधावालिया- *याचिकाकर्ता।*

बनाम

भारत संघ और अन्य, -*प्रतिवादी।*

1989 *की सिविल रिट याचिका संख्या* 6333 ।

18 मई, 1989.

भारत का संविधान, 1950- *कला।* 14, 16 *और* 226- *याचिकाकर्ता को ब्रिगेडियर के कार्यवाहक रैंक पर पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी गई - ऐसी मंजूरी निरंतर संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है - प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा - पदोन्नति के लिए चयन रद्द कर दिया गया - रिट याचिका - हस्तक्षेप की गुंजाइश बताई गई।*

माना गया कि यह उन गोपनीय पत्रों से *पूर्व दृष्टया* पेटेंट है, जिन्हें खेदपूर्वक सार्वजनिक कर दिया गया है, कि 'असंतोषजनक सेवा' शब्द का प्रयोग किसी अधिकारी के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी लिखने जैसा नहीं है, बल्कि यह पदोन्नति के लिए आवश्यक मानक से संबंधित है। सेवा के उच्च पद पर. ऐसे दृष्टिकोण में स्पष्टतः कुछ भी ग़लत नहीं है। सेना के अनुशासनात्मक बल के अलावा, हम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अतिक्रमण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हैं। हम सशस्त्र बलों से संबंधित सभी और विविध मामलों में हस्तक्षेप करने की किसी भी तत्पर इच्छा को समझने में असमर्थ हैं। बल्कि हम, राष्ट्र के हित में, संवेदनशीलता के इस क्षेत्र में प्रवेश करने में एक सामान्य झिझक देखते हैं, और इससे भी अधिक, वर्तमान जैसे मामले में जहां याचिकाकर्ता की सेवा को 'असंतोषजनक सेवा' यानी मानक के अनुरूप नहीं माना गया है। पदोन्नति के लिए आवश्यक है . इसे हमारी ओर से न्यायिक समीक्षा नहीं कहा जाएगा।

(पैरा 4 और 5).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 *के तहत याचिका , प्रार्थना करते हुए कि* :

(i) प्रतिवादी-अधिकारियों के रिकॉर्ड मंगवाए जाएं

(ii) प्रस्ताव की अग्रिम सूचना के साथ उत्तरदाताओं की सेवा को कृपया समाप्त कर दिया जाए;

(iii) कृपया अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाए;

(iv) रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जाए;

(v) *रिट याचिका स्वीकार की जाए, और अनुलग्नक* पी.4, पी.7 *और पी.8 को कृपया रद्द किया जाए;*

(vi) 1935 या उस तारीख *से ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया जाए जब कर्नल शिवपुरी, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, को पदोन्नत किया गया था;*

(vii) *यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले किसी भी आदेश, रिट या निर्देश को पारित कर सकता है, जिससे याचिकाकर्ता को वरिष्ठता, बकाया आदि की प्रकृति में सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जा सकें।*

याचिकाकर्ता की ओर से जेएल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और टीएस ढींडसा, अधिवक्ता ।

आदेश

(1) यहां याचिकाकर्ता कर्नल डीएस संधवालिया ने प्रतिवादियों के खिलाफ इस न्यायालय से दिशा-निर्देश मांगे हैं, जो रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मुख्यालय पश्चिमी कमान और लेफ्टिनेंट जनरल वाईएस तोमर, एडजुटेंट जनरल, सेना मुख्यालय न्यू हैं। दिल्ली, उन्हें मई 1985 या उस तारीख से ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत करने के लिए, जब याचिकाकर्ता से कनिष्ठ *कर्नल शिवपुरी* (पक्षकार के रूप में शामिल नहीं) को पदोन्नत किया गया था।

(2) याचिकाकर्ता का दावा सीधे तौर पर 20 अक्टूबर 1983 के पत्र, अनुलग्नक पी-1 पर आधारित है, जिसके तहत उन्हें सेना मुख्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि उन्हें अपनी बारी में ब्रिगेडियर के कार्यवाहक रैंक पर पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी गई थी, बशर्ते कि फैक्ट्री का प्रदर्शन जारी रहे। और मेडिकल फिटनेस। 29 सितंबर, 1987 को, पत्र अनुलग्नक पी-2 *के माध्यम से* , उन्हें सूचित किया गया कि 20 अक्टूबर, 1983 के पत्र के बाद, उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा और ब्रिगेडियर के कार्यवाहक रैंक पर पदोन्नति के लिए उनका मामला सितंबर 1984 में आयोजित चयन बोर्ड द्वारा विशेष रूप से समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें स्वीकार्य ग्रेड में नहीं रखा गया। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि सामान्य कैडर में ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नति के लिए उनका चयन

रद्द माना जाएगा। फिर दिनांक 8 अक्टूबर 1987 का एक पत्र, अनुलग्नक पी-3, याचिकाकर्ता को सूचना के रूप में भेजा गया और याचिकाकर्ता का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहने के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिकूल टिप्पणियों/में अंतर है। मूल्यांकन जो मौजूदा नियमों और अवधि के अनुसार संप्रेषित किया जाना है

पदोन्नति के लिए आवश्यक मानक से संबंधित 'असंतोषजनक सेवा' । इसका मतलब आवश्यक रूप से प्रतिकूल टिप्पणी या बहुत कम आलंकारिक मूल्यांकन नहीं था। अनुलग्नक पी-2 और पी-3 गोपनीय दस्तावेज हैं और फिर भी इन्हें रिकॉर्ड में रखा गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि पेशेवर परामर्श के पत्र, अनुलग्नक पी-4 दिनांक 10 अक्टूबर 1983 से पता चलता है कि उन्हें एक प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई थी जिसके बारे में उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया था और इसके कारण पदोन्नति के लिए चयन रद्द कर दिया गया था। उनकी वैधानिक शिकायत (फिर से गोपनीय) अनुबंध पी-5, 7 अक्टूबर, 1988 को केंद्र सरकार के आदेश *के तहत खारिज कर दी गई थी* । उनकी गैर-वैधानिक शिकायत (फिर से गोपनीय) अनुबंध पी-6, 20 सितंबर, 1988 को खारिज कर दी गई थी। ? सेना अधिकारियों द्वारा.

(3) इनसे इस याचिका को जन्म मिला है,

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री जेएल गुप्ता को सुनने के बाद , हमें इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करने में अपनी असमर्थता पर खेद है। उनका मुख्य दावा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर है , और अधिक सशक्त रूप से, जब उनके अनुसार, अभी तक संसद द्वारा भाग-3 में प्रदत्त मौलिक मानसिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने के लिए कोई कानून पारित नहीं किया गया है। संविधान आपके सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लागू होता है। संविधान की भावना यह है कि यदि संसद चाहे तो वह सशस्त्र बलों के उद्देश्यों के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है ताकि सशस्त्र बलों के कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके। उन्हें। उन्होंने *रोमेश चंदर* बनाम जीओसी *उत्तरी कमान और अन्य* (1) का हवाला दिया है, जो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एकल पीठ का एक निर्णय था, जिसे श्री गुप्ता मानते हैं, उस न्यायालय की एक लेटर्स पेटेंट पीठ ने उसे नाराज कर दिया था, हालांकि उस मामले का निर्णय हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, उनका कहना है कि इस मामले का पालन *लेफ्टिनेंट कर्नल (अब मेजर) सुरजीत सिंह* बनाम *जीओसी* 33 *मैकेनाइज्ड डिवीजन और अन्य* (2) में किया गया था ? यह मानते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 16 की सुरक्षा सशस्त्र बलों के सदस्यों को उपलब्ध है। उद्धृत किया गया एक अन्य मामला *मेजर केडी गुप्ता* बनाम *भारत संघ और दूसरा* (3) था, जिसके कारण *लेफ्टिनेंट*

कर्नल केडी गुप्ता बनाम *भारत संघ और अन्य (4), और अंत में कर्नल केडी गुप्ता* बनाम *संघ* में अवमानना याचिका दायर की गई । *भारत और अन्य के* (5). सभी

(1) 1977 (2) एसएलआर 865।

(2) 1988 (3) एसएलआर 439।

(3) एआईआर 1983 एससी 1122।

(4) एआईआर 1988 एससी 1178।

(5) 1989 द्वितीय एसवीएलआर। (एल) 14.

ये मामले अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित मामले हैं, लेकिन कहीं भी यह फैसला नहीं सुनाया गया है कि सभी घटनाओं में उच्च न्यायालय को सेना के समूह में प्रवेश करना चाहिए और उनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। गोपनीय पत्र अनुलग्नक पी-2 और पी-3, जिन्हें खेदपूर्वक सार्वजनिक कर दिया गया है, से यह स्पष्ट है कि 'असंतोषजनक सेवा' शब्द का प्रयोग किसी अधिकारी के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी लिखने जैसा नहीं है, बल्कि संबंधित *है* । सेवा के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक मानक के अनुसार। ऐसे दृष्टिकोण में स्पष्टतः कुछ भी ग़लत नहीं है। सेना के अनुशासनात्मक बल के अलावा, हम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अतिक्रमण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हैं। हमारे विचार को *लेफ्टिनेंट कर्नल केडी गुप्ता के मामले (सुप्रा)* से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है, जहां उनके आधिपत्य ने देखा है कि उक्त मामले को एक मिसाल के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और न्यायालय चाहेगा कि रक्षा विभाग का अनुशासन स्वयं बनाए रखा जाए। राष्ट्रहित में.

(6) श्री गुप्ता ने हमारे सामने जोरदार ढंग से आग्रह किया कि उनके द्वारा उद्धृत न्यायिक उदाहरण ? और जिस सूची में वह बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, उच्च स्तर के न्यायालय हस्तक्षेप कर रहे हैं और यह तथ्य कि उन्होंने हस्तक्षेप किया है, हस्तक्षेप करने की उनकी इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। हम सशस्त्र बलों से संबंधित सभी और विविध मामलों में हस्तक्षेप करने की किसी भी तत्पर इच्छा को समझने में असमर्थ हैं। बल्कि हम, राष्ट्र के हित में, संवेदनशीलता के इस क्षेत्र में प्रवेश करने में एक सामान्य झिझक देखते हैं, और इससे भी अधिक, वर्तमान जैसे मामले में जहां याचिकाकर्ता की सेवा को 'असंतोषजनक सेवा' यानी मानक के अनुरूप नहीं माना गया है। पदोन्नति के लिए आवश्यक है. इसे हमारी ओर से न्यायिक समीक्षा नहीं कहा जाएगा।

(7) , हम याचिका को खारिज करते हैं

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोगनहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम